न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/450

1. हिम्मत सिंह पुत्र श्री मूलचन्द चौधरी, जाति जाट, निवासी ग्राम मालाखेड़ा तहसील व जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिल कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, जिला अलवर

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 28.08.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2013 से असतुष्ट होकर शस्त्र अधिनियम 1959, की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या अलवर/172/पुलिस थाना मालाखेड़ा/08 अवशान की तारीख 31.12.2011 वैधता ऑल राजस्थान राज्य के नवीनीकरण हेतु दिनांक 05.06.2013 प्रस्तुत किया गया जिस पर नियमानुसार जॉच कर चालान संख्या 98112 दिनांक 06.06.2013 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण शुल्क 250 (दो सौ पचास) रूपये राजकोष में जमा कर पुलिस अधीक्षक अलवर से शस्त्र अनुज्ञा पत्र पंजीयन नवीनीकरण हेतु आचरण रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु पत्रांक 155 दिनांक 05.06.2013 को जारी किया गया जिसके संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक अलवर ने अपने पत्रांक 22881 दिनांक 23.07.2013 द्वारा शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण की जांच कर आवेदक दिये गये पते पर रहना पाया गया, आवेदक के विरूद्ध अभियोग संख्या 365/10 थाना मालाखेड़ा अनुसंधान चार्जशीट नम्बर 392/2010 अन्तर्गत धारा 148, 149, 336, 160 ता.हि व 29ख, 30, 2/25, 5/27 आर्म्स एक्ट में चालान पेश किया जाकर न्यायालय में विचाराधीन होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक अलवर की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2013 प्राप्त हो पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकरण में आपसी परिवारिक विवाद की वजह से झूँठा दर्ज होना एवं न्यायालय में विचाराधीन होना बताते हुये अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके पश्चात् भी अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2013 को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जिस पर अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज अभियोग संख्या 365/10 थाना मालाखेड़ा दर्ज मुकदमें में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2017 एवं 19.08.2020 को अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किये जाने के आदेश की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत कर पुनः दिनांक 31.12.2021 को अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काफी समय पश्चात् बार—बार पूँछताँछ करने पर अधीनस्थ न्यायालय के रीडर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

द्वारा मौखिक बताया गया कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र को पुनः बहाल करने हेतु सक्षम न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करें। जिस पर अपीलार्थी आवश्यक मालूमात कर दिनांक 24.06.2022 को सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 29.06.2022 को नकल प्राप्त होने पर अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील पेश करने में हुऐ विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2013 तथ्यों एवं कानून के विपरित व विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतइ परवर्स आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मुख्य आधार अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध मुकदमें दर्ज होना एवं पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा अनुशंषा नही किया जाना अंकित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.12.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त अंकित मुकदमों में सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया जाना अंकित किया जाकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किये जाने का आदेश पारित करने के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियों की फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र सम्बन्धी कोई मुकदमा नही होना अवगत करवाने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हे कि शस्त्र अधिनियम 1959 संशोधित 2010 एवं 2012 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किये जाने हेतु जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है अपीलार्थी द्वारा उन शर्तो का कोई उल्लंघन नही किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी शुल्क राजकोष में जमा करवाने के पश्चात् उपरोक्त शुल्क को लौटाये जाने का आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि सम्मत नही होने से खारिज योग्य है। अतः अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जावें एवं अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2013 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या अलवर/172 पुलिस थाना मालाखेडा/08 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर

आयुक्त

न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 365/2020 अन्तर्गत धारा 148, 149, 336, 160 ता.हि. 29ख, 30, 3/25 एवं 5/27 आर्म्स एक्ट जैर तजबीज अदालत होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2013 पारित किया गया गया था तथा अपीलार्थी की ओर से इस सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 88/2016 में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1 अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2017 एवं प्रकरण संख्या 23/960/17 में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेड़ा अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.08.2020 की प्रतिलिपियॉं पेश की गई है जिसके अनुसार उक्त दोनों प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत श्री नेकीराम चौधरी के लाईसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में अधीनस्थ जिला कलक्टर अलवर द्वारा की गई कार्यवाही की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमें विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज किया गया है जबकि श्री नेकीराम चौधरी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने से लम्बित रखा गया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई विरोधाभाषी प्रक्रिया जाहिर होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.08.2013 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण योग्य हो तो तदानुसार नियमानुसार कार्यवाही करें।

28/8/23

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28/8/23

संभागीय आयुक्त
जयपुर